



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE : DEPT. OF REVENUE
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
ZONAL CAMPUS : KOLKATA
P-27, C.I.T. Scheme VIII (M)
Bidhan Nagar Road, Kolkata 700067
Phone: (033) 2356-2777, 2356-1415, 2356-7154
Email: nacin.ztikolkata@gov.in; nacen_kol@yahoo.co.in



परीक्षा सूचना

विषय: विभागीय की पुष्टि परीक्षा इंस्पेक्टर वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

[संदर्भ: विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स) नियम, 2024]

- के ग्रेड में अधिकारियों की पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा इंस्पेक्टर वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, से आयोजित किया जाएगा **18.06.2025, 19.06.2025 और 20.06.2025.**
- परीक्षा केंद्र: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, मॉल, मोरार, ग्वालियर - 474006, मध्य प्रदेश
- उक्त परीक्षा के लिए पेपर और शेड्यूल नीचे दिए गए हैं: -

कागज	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	दिनांक	समय
पेपर-I : नारकोटिक्स पर अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून (पुस्तक की अनुमति दी जाएगी: <ol style="list-style-type: none"> औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (मध्य प्रदेश) नियम, 1985। राजस्थान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियम, 1986 	100	50	18.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
पेपर-II: नारकोटिक्स नियंत्रण नीति और प्रक्रियाएं (पुस्तकों की अनुमति दी जाएगी) : <ol style="list-style-type: none"> निवारक और खुफिया मैनुअल, रिकॉर्ड नियम और गुप्त सेवा निधि प्रक्रिया। कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII) और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए कारखाना नियम इसके तहत बनाए गए 	100	50	18.06.2025	14.00 to 17.00 Hrs.

पेपर-III: प्रशासन (आचरण नियमों को छोड़कर पुस्तक के साथ)	100	50	19.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
पेपर-I वी : कानून (पुस्तक के साथ)	100	50	19.06.2025	14.00 to 17.00 Hrs.
पेपर - V: हिंदी	100	50	20.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
पेपर - VI: कंप्यूटर एप्लिकेशन और इंटरनेट का उपयोग (सिद्धांत और व्यावहारिक)	100	50	20.06.2025	14.00 to 17.00 Hrs.

नोट: विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए, वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी द्वारा दिनांक 18.12.2024 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित विभागीय परीक्षा नियम, 2024 को संदर्भित किया जा सकता है (पृष्ठ-75-78)

1. प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में (कागज को छोड़कर) सेट किया जाएगा। वी : हिंदी। उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा।
2. संबंधित आयुक्तालय/निदेशालय जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, एक अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक अधिकारी) को नामित करेगा जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करेगा। अनुबंध-ए (संलग्न) के अनुसार प्रश्न पत्रों के लिए मांग के साथ अधिकृत अधिकारी का विवरण सहायक निदेशक (परीक्षा) या अतिरिक्त सहायक निदेशक (परीक्षा), एनएसीआईएन को भेजा जाना चाहिए, कोलकाता ईमेल आईडी के माध्यम से nacin.ztikalkata@gov.in
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित अधिकृत प्रभारी अधिकारी के विवरण के साथ प्रश्न पत्रों के लिए मांग सहायक निदेशक (परीक्षा) या अतिरिक्त सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, कोलकाता ई-मेल के माध्यम से केवल नवीनतम द्वारा 25^{वाँ} मई 2025. कृपया ध्यान दिया जाए कि उसके बाद प्राप्त मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवश्यकता की सूचना देते समय, पद का नाम और रोल नं। जिस उम्मीदवार के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है। रोल नं। "उम्मीदवारों को ""स्टेशन का नाम"" और ""पोस्ट"" का उपसर्ग करते हुए आदेश में सौंपा जा सकता है, जिसके लिए वे उपस्थित होने का इरादा रखते हैं।" उदाहरण के लिए कोलकाता / निरीक्षक/सीबीएन/ 01. रोल नंबर निर्दिष्ट करने का कोई अन्य प्रारूप। कृपया परहेज किया जाए।
5. प्रतिनियुक्ति/ऋण के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उन्हें नामांकित किया जाएगा उनके मूल आयुक्तालय से. इस तरह के नामांकन को कैडर कंट्रोल अथॉरिटी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के साथ भेजा जा सकता है यदि उम्मीदवार ने अपनी पोस्टिंग के वर्तमान स्थान में परीक्षा लेने के लिए प्रतिनिधित्व किया है।
6. पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ प्रारूप में उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र नामित अधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा पर 16.06 q. 2025 केवल ई-मेल के माध्यम से जो बदले में नैसिन को उसी की प्राप्ति को स्वीकार करेगा, कोलकाता उसी दिन ई-मेल वापस करें। पीडीएफ फ़ाइल खोलने के लिए पासवर्ड प्रदान किया जाएगा पर 18. 06 q. 2025 परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले। अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।
7. परीक्षा का नोटिस सीबीआईसी और नैसिन की वेबसाइटों पर भी पोस्ट किया जा रहा है। www.cbic.gov.in और www.nacin.gov.in क्रमशः।
8. उम्मीदवार की पात्रता संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा तय की जाएगी। पात्रता के प्रश्न के किसी भी संदर्भ पर नैसिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
9. परीक्षा में प्राप्त अंक केवल ईमेल के माध्यम से संबंधित सीसीए को सूचित किए जाएंगे। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीसीए का सही विवरण दर्ज किया गया है अनुलग्नक-क इस नोटिस के साथ संलग्न है।
10. नैसिन, कोलकाता यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा के संचालन के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था या उपयोग करने की अनुमति दी गई थी या किसी भी पक्षपात या अन्याय किया जाता है,

तो पूरी परीक्षा या किसी उम्मीदवार या केंद्र या केंद्रों के समूह की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। परीक्षा केंद्रों के अधिकृत अधिकारी या पर्यवेक्षक को भी एनएसीआईएन के अनुमोदन से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक उम्मीदवार या पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, कोलकाता, अनुचित साधनों के उपयोग के मामले में।

11. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों को उत्तर पत्र के सामने वाले हिस्से पर रबर स्टैप का उपयोग करके या तो मुद्रित रूप में या सील द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है कि परीक्षा के समय के दौरान उनके नाम / पहचान और अनुचित साधनों में किसी भी प्रकार के भोग का खुलासा करने का कोई भी प्रयास या कोई भी व्यवहार जिसे जांचकर्ता/पर्यवेक्षक/नैसिन द्वारा धोखा माना जा सकता है, उनकी परीक्षा को शून्य और शून्य के रूप में प्रस्तुत करेगा।
12. परीक्षा के लिए निर्देश इस परीक्षा नोटिस के साथ संलग्न है और इसका एक अभिन्न अंग है।
13. यह अतिरिक्त महानिदेशक (परीक्षा), नैसिन के अनुमोदन से जारी करता है, कोलकाता।

MINI CHOWDHARY
JOINT DIRECTOR
20-05-2025

प्रतिलिपि:

1. उप स्वापक आयुक्त, स्वापक आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर - 474006, मध्य प्रदेश।
2. उप स्वापक आयुक्त, सीबीएन, राजस्थान इकाई;
3. उप स्वापक आयुक्त, सीबीएन, मध्य प्रदेश इकाई;
4. उप स्वापक आयुक्त, सीबीएन, उत्तर प्रदेश इकाई;
5. अधीक्षक, पी एंड आई सेल, नई दिल्ली;
6. अधीक्षक, पी एंड आई सेल, गाजीपुर,

EXAMINATION NOTICE

Subject: Departmental Confirmation Examination of Inspector of Central Bureau of Narcotics for the year 2025-26

[Ref.: The Departmental Examination (Central Tax, Central Excise, Customs and Narcotics) Rules, 2024]

1. The departmental examination for confirmation of officers in the grade of Inspector of the Central Bureau of Narcotics for the year 2025-2026 as mentioned above will be conducted from **18.06.2025, 19.06.2025 and 20.06.2025.**
2. Centre of Examination: Central Bureau of Narcotics, 19, The Mall, Morar, Gwalior - 474006, Madhya Pradesh
3. The papers and schedule for the said examination are as below:-

Paper	Maximum Marks	Passing Marks	Date	Time
PAPER-I: International and National Laws on Narcotics (Book will be permitted for: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drugs and Cosmetics Act, 1940 2. Narcotics Drug and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rule, 1985. 3. Rajasthan Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Rules, 1985 4. Uttar Pradesh Narcotics Drugs Rules, 1986 	100	50	18.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
PAPER-II: NARCOTICS CONTROL POLICY AND PROCEDURES (Books will be permitted for: <ol style="list-style-type: none"> 1. Preventive and Intelligence Manual, Record Rules and Secret Service Fund Procedure. 2. Factories Act, 1948 (LXIII of 1948) and Factory Rules for Uttar Pradesh and Madhya Pradesh framed thereunder 	100	50	18.06.2025	14.00 to 17.00 Hrs.
PAPER-III: Administration (with Book except for Conduct Rules)	100	50	19.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
PAPER-IV: Law (with Book)	100	50	19.06.2025	14.00 to

				17.00 Hrs.
Paper - V: Hindi	100	50	20.06.2025	10.00 to 13.00 Hrs.
Paper - VI: Computer Application and Use of Internet (Theory and practical)	100	50	20.06.2025	14.00 to 17.00 Hrs.

Note: For detailed syllabus, the Departmental Examination Rules, 2024 as notified by the Ministry of Finance, CBIC vide Gazetted Notification dated 18.12.2024 may be referred to (pages- 75-78)

1. The question paper shall be set in both English and Hindi medium (except for Paper-V: Hindi). Candidates shall have the option to write the answers either in English or Hindi.
2. The concerned Commissionerate/Directorate where the examination is scheduled to be held shall nominate an officer (ADC/JC/DC/AC or equivalent rank officer) who will function as the overall in-charge for conduct of the said examination. The details of the authorized officer along with the requisition for the question papers as per Annexure-A (enclosed) should be sent to the Assistant Director (Exam) or the Additional Assistant Director (Exam), NACIN, Kolkata through email to the email ID: nacin.ztikolkata@gov.in
3. Requisition for question papers along with details of the authorized officer in-charge, duly approved by the competent authority, must reach the Assistant Director (Exam) or the Additional Assistant Director (Exam), NACIN, Kolkata **through e-mail only latest by 25th May 2025. It may please be noted that the requisitions received thereafter shall not be entertained.**
4. While informing the requirement, the name of the post and the Roll nos. of the candidate for which the examination is to be conducted may clearly be stated. The Roll nos. of the candidates may be assigned in the order prefixing the "Name of Station" and "Post" for which they intend to appear. E.g. KOLKATA/INSPECTOR/CBN/01. Any other format of assigning Roll nos. may please be avoided.
5. Candidates working on Deputation/loan basis who are eligible and willing to appear for the examination shall be nominated **from their Parent Commissionerate**. Such nomination may be sent along with "No Objection Certificate" from the Cadre Control Authority in case the candidate has represented to take up the exam in his/her current place of posting.
6. Question paper for the said exam in password protected PDF format shall be sent to the nominated authorized officer **on 16.06.2025 through e-mail only** who in turn shall acknowledge the receipt of the same to NACIN, Kolkata by return e-mail on the same day. **Password for opening the PDF file will be provided on 18.06.2025 one hour before the start of the exam.** The authorized officer shall ensure that the examination is conducted in a fair and transparent manner.
7. The examination notice is also being posted on CBIC and NACIN websites i.e. www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in respectively.
8. The eligibility of the candidate shall be decided by the concerned Cadre Controlling Authority (CCA). Any reference to the question of eligibility shall not be entertained by NACIN.

9. The marks obtained in the examination shall be communicated to the concerned CCAs through email only. Hence, it should be ensured that the correct details of CCA are entered in **Annexure-A** attached with this notice.
10. NACIN, Kolkata reserves the right to cancel the whole examination or the examination of a candidate or that of a center or a cluster of centers, if it is found that unfair means were used or allowed to be used or any partiality or injustice is done to anybody during the conduct of the examination. The authorized officer or invigilator of the examination centers also has the right to cancel the examination of a candidate or the whole center under his jurisdiction with the approval of NACIN, Kolkata, in case of use of unfair means.
11. It should be ensured that the candidates are clearly notified in either printed form or by seal using rubber stamp on the front part of the answer sheet that any attempt to disclose their names/identity and any form of indulgence in unfair means during the examination hour or any behavior that may be considered as cheating by the invigilator/supervisor/NACIN shall render their examination as null and void.
12. Instruction for examination is enclosed with this examination notice and is an integral part of it.
13. This issues with the approval of the Additional Director General, NACIN, Kolkata.

Signed by

Mini Chowdhary

Date: 20-05-2025 13:37:02

~~Mini Chowdhary~~
JOINT DIRECTOR

20-05-2025

Copy to:

1. The Deputy Narcotic Commissioner, Office of the Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior - 474006, Madhya Pradesh.
2. The Deputy Narcotics Commissioner, CBN, Rajasthan Unit;
3. The Deputy Narcotics Commissioner, CBN, Madhya Pradesh Unit;
4. The Deputy Narcotics Commissioner, CBN, Uttar Pradesh Unit;
5. The Superintendent, P & I Cell, New Delhi;
6. The Superintendent, P & I Cell, Gazipur,

परीक्षा के लिए नदश

विभागीय की पुष्टि परीक्षा इंस्पेक्टर वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

1. संबंधित आयुक्तालय / निदेशालय जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, एक अधिकारी को नामित करेगा, जिसे उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकृत अधिकारी को आगे परीक्षा सुचारु रूप से आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक को नामित करना आवश्यक है और प्रश्न पत्रों की जेरॉक्स प्रतियों की आवश्यक संख्या उसकी व्यक्तिगत निगरानी में गुप्त रूप से की जाएगी।
2. परीक्षा कार्य के लिए पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक को उम्मीदवारों को रोल नंबर आवंटित करने, उम्मीदवारों के लिए बैठने की व्यवस्था करने, उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्रों जैसी मानक स्टेशनरी की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षी अधिकारियों/निरीक्षकों को भी एनएसीआईएन के अनुमोदन से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक उम्मीदवार या पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, पालसमुद्रम , अनुचित साधनों के उपयोग के मामले में।
3. प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टैम्प चिपकाकर **अनुलग्नक-बी** (इस सूचना के साथ संलग्न):-

1) परीक्षा का नाम:

2) रोल नं।

3) केंद्र का नाम

4) परीक्षा की तारीख और समय

5) कागज और विषय का नाम

6) नहीं। उपयोग की गई ढीली उत्तर पुस्तिकाओं की (पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक ढीली शीट पर हस्ताक्षर करेगा और पृष्ठ संख्या निर्दिष्ट करेगा)।

7) पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर (सत्यापन पर कि सभी विवरण उम्मीदवारों द्वारा सही ढंग से भरे गए हैं)

8) प्राप्त अंक/अधिकतम अंक

9) परीक्षक के हस्ताक्षर

4. किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी यदि वह उम्मीदवार अपना नाम लिखता है या किसी संकेत/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि का उपयोग करता है। उत्तर पुस्तिकाओं में जो किसी भी तरह से उम्मीदवार की पहचान का संकेत दे सकती है।

5. उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि या तो मुद्रित रूप में या उत्तर पत्र के सामने वाले हिस्से पर रबर स्टैम्प लगाकर कि उनके नाम/पहचान का खुलासा करने का कोई भी प्रयास और अनुचित साधनों का कोई भोग जैसे किसी भी स्रोत से नकल करना या परीक्षा के समय के दौरान या बाहर किसी के साथ बात करना या उम्मीदवारों का कोई व्यवहार जिसे पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/नैसिन द्वारा धोखा माना जा सकता है, उनकी परीक्षा को शून्य और शून्य के रूप में प्रस्तुत करेगा।

6. पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा (जैसा कि विस्तृत रूप में बताया गया है) **अनुलग्नक-बी**) उम्मीदवारों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के बाद। पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक प्रत्येक ढीली शीट पर भी हस्ताक्षर करेगा और उम्मीदवार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक ढीली शीट को पृष्ठ संख्या सौंपेगा।

7. जांचकर्ता और पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करने में गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुचित साधन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कुछ को कोई अतिरिक्त लाभ दे सकता है और इस प्रकार, दूसरों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकता है। पूरी कवायद को डिजाइन और संचालित किया जाएगा ताकि सभी के साथ न्याय किया जा सके। नैसिन के पास पूरी परीक्षा या किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार या केंद्र

या केन्द्रों के समूह को रद्द करने का आधिकार सुरक्षित है, यदि किसी अनुचित साधन का उपयोग उसके ध्यान में लाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो यह पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई की सिफारिश भी कर सकता है।

8. उम्मीदवारों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी स्पष्टीकरण पर एनएसीआईएन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया/संचालन के संबंध में कोई भी पत्राचार अशोक कुमार दास, सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोब 9874290144) को किया जा सकता है। या अंकन बोस, अतिरिक्त सहायक निदेशक (परीक्षा) (भीड़। - 9831403012), नैसिन, जेडसी कोलकाता, पी - 27, सी आई टी योजना (VIIIIM), बिधान नगर रोड, कोलकाता - 700 067 या ईमेल आईडी पर nacin.ztikalkata@gov.in .

9. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास मोबाइल फोन और ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग और ले जाना सख्ती से प्रतिबंधित है।

10. उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में पेपर पूरा होने / जमा करने पर भी पहले तीस मिनट में हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एक समय में केवल एक व्यक्ति को परीक्षा के पहले तीस मिनट पूरे होने के बाद उचित याचिका के तहत परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

11. पेपर- वी केवल हिंदी में सेट किया जाएगा। पेपर-I , II , III, IV और VI उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा।

12. सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं ठीक से टैग / बंच की गई, नैसिन को भेजी जाएंगी, कोलकाता परीक्षा के तुरंत बाद। इसका मूल्यांकन नैसिन द्वारा किया जाएगा।

13. आवंटित रोल नंबर (ओं) के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित उत्तर पत्र और उपस्थिति पत्र एक सीलबंद कवर में भेजे जाएंगे।

14. NACIN उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को केवल CCA तक पहुंचाएगा। परिणाम [प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुरूप; लागू निर्देश, यदि कोई हो, (समय-समय पर मंत्रालय/बोर्ड द्वारा) आदि।), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान करना, जैसा लागू हो सकता है], सीसीए या सीसीए द्वारा अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को सूचना के तहत घोषित किया जाएगा।

15. यह अतिरिक्त महानिदेशक (परीक्षा), नैसिन के अनुमोदन से जारी करता है कोलकाता .

MINI CHOWDHARY
JOINT DIRECTOR

INSTRUCTION FOR EXAMINATION

Departmental Confirmation Examination of Inspector of Central Bureau of Narcotics for the year 2025-26

1. The concerned Commissionerate/Directorate where the examination is scheduled to be held shall nominate an officer, who will be authorized to function as the overall in-charge for conduct of said examination and he/she shall be responsible to conduct the examination in a free and fair manner and maintain secrecy thereof. The Authorized Officer is further required to nominate a Supervisor/Invigilator to conduct the exam smoothly and the required no(s) of Xerox copies of question papers shall be done secretly under his/her personal supervision.
2. The examination work requires the Supervisor/Invigilator to allot Roll Numbers to the candidates, to make the seating arrangement for the candidates, to arrange standard stationery like answer sheets and the question papers as many as required. The Supervisory officers/ Invigilator of the examination centers also have the right to cancel the examination of a candidate or the whole of center under their jurisdiction with the approval of NACIN, Palasamudram, in case of use of unfair means.
3. The first page of each answer sheets shall compulsorily contain the following particulars, either in printed form or by affixing rubber stamp as per **Annexure-B** (enclosed with this notice): -

1) Name of the Examination:

2) Roll No.

3) Name of Center

4) Date & Time of Examination

5) Name of the Paper & Subject

6) No. of loose answer sheets used (The Supervisor/ Invigilator will sign the loose sheets and assign page numbers).

7) Signature of the Supervisor/ Invigilator (on verification that all the details are correctly filled in by the candidates)

8) Marks obtained/Maximum Marks

9) Signature of the of Examiner

4. The examination of any candidate shall be cancelled if that candidate writes his/her name or uses any sign/ symbol/ signature etc. in the answer sheets which may hint the identification of the candidate in any way.

5. It shall also be notified to the candidates either in printed form or by affixing rubber stamp on the front part of the answer sheet that any attempt to disclose their names/identity and any indulgence of unfair means like copying from any source or talking with anybody inside or outside during the examination hour or any behavior of the candidates that may be considered to be cheating by the Invigilator/ Supervisor/NACIN shall render their examination as null and void.

6. The Supervisor/Invigilator shall sign on the front page of the Answer sheet (As detailed in **Annexure-B**) after verification of all the details filled by the candidates. The

Supervisor/Invigilator shall also sign each loose sheet and assign page numbers to each loose sheets used by a candidate.

7. The Invigilators and the Supervisors shall maintain confidentiality, impartiality & discipline in conducting the examination and ensure that no unfair means are used, which could give any extra advantage to some and thus, be prejudicial to others. The whole exercise shall be designed and conducted so as to do justice to all. NACIN reserves the right to cancel the whole examination or that of an individual candidate or of a Centre or a group of centers, if use of any unfair means is brought to its notice. It can also recommend disciplinary action against the Supervisors/Invigilators, if required.

8. The eligibility of the candidates shall be ascertained by the CCA and any clarification other than conduct of examination shall not be entertained by NACIN. Any correspondence with respect to the process/conduct of examination may be made to Sh. Ashoke Kumar Das, Assistant Director (Exam) (Mob. - 9874290144) or Sh. Ankan Bose, Additional Assistant Director (Exam) (Mob. - 9831403012), NACIN, ZC Kolkata, P - 27, C I T Scheme (VIIM), Bidhan Nagar Road, Kolkata - 700 067 or at email id nacin.ztikolkata@gov.in.

9. Use and carrying of mobile phones and any such electronic gadget in or around the examination hall by the candidates is strictly prohibited during the conduct of the examination.

10. Candidates are not allowed under any circumstances to go out of the hall in the first thirty minutes even on completion/submission of the paper. Only one person at a time should be allowed to go out of the examination hall under reasonable plea after the completion of the first thirty minutes of the examination.

11 Paper-V will be set in Hindi only. Paper-I, II, III, IV & VI will be bilingual, and the candidates have the option to write the answer either in English or Hindi.

12 Answer sheets of all candidates properly tagged / Bunched, shall be sent to NACIN, Kolkata immediately after the examination. The same will be evaluated by NACIN.

13. Answer sheets and the Attendance sheet arranged serially according to allotted Roll No(s) shall be sent in a sealed cover.

14. NACIN would convey the marks obtained by the candidates only to the CCAs. Result [in consonance with the relevant Recruitment Rules; the instructions in force, if any, (by the Ministry/Board from time to time etc.), grant of relaxations to the SC, ST & OBC candidates, as may be applicable}, shall be declared by the CCA or any other office duly authorized by CCA under intimation to this office.

15. This is issued with the approval of Additional Director General (Exam), NACIN Kolkata.

Signed by

Mini Chowdhary

MINI CHOWDHARY
Date: 22-05-2025 16:48:29
JOINT DIRECTOR

[illegible]

ANNEXURE-A

(Proforma for Nomination & Requisition of Question Papers)

1. Name of the Commissionerate/Directorate :
2. Name of the Cadre Controlling Zone :
3. Name of the Centre of Examination :
4. Official mail ID of the formation (CCAs) :

(Any correspondence w. r. t. departmental examinations i.e. marks of the candidates shall be sent from the Mail ID mentioned here)

5. Details of the nominated Authorized Officer
(ADC/JC/DC/AC or equivalent rank officer) who would be responsible
for the conduct of exam and to whom the question papers in PDF
format would be sent by e-mail. (please provide following details)

- i. Name:
- ii. Official address:
- iii. Gov.in mail ID:
- iv. Tel. No.:
- v. WhatsApp mobile no.:

6. Details of the candidates appearing for the examination at the centre:

[illegible]

विभागीय को पुष्टि परीक्षा इस्पेक्टर वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

अनुलग्नक-बी

(प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ के लिए प्रोफार्मा)

परीक्षा केंद्र का पूरा पता:		
1	परीक्षा का नाम	
2	रोल नंबर उम्मीदवार का	
3	परीक्षा का नाम इन्द्रिय केंद्र सरकार	
4	परीक्षा की तारीख और समय	
5	पेपर और विषय का नाम	
6	उपयोग की गई ढीली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक प्रत्येक ढीली शीट पर हस्ताक्षर करेगा और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेगा)	
7	पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर (उम्मीदवारों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन पर)	
8	प्राप्त अंक / अधिकतम अंक	
9	परीक्षक के हस्ताक्षर	

नोट: यदि उम्मीदवार अपना नाम लिखते हैं या किसी संकेत/प्रतीक हस्ताक्षर आदि का उपयोग करते हैं तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं में जो किसी भी तरह से उम्मीदवारों की पहचान पर संकेत दे सकते हैं।

**Departmental Confirmation Examination of Inspector of Central Bureau of
Narcotics for the year 2025-26**

ANNEXURE-B

(Proforma for first page of Each Answer Sheet)

Full Address of the Exam Center:		
1	Name of the Examination	
2	Roll No. of the Candidate	
3	Name of Examination Centre	
4	Date & Time of Examination	
5	Name of the Paper & Subject	
6	No of loose answer sheets used (The Supervisor/Invigilator will sign each loose sheet and also assign page numbers)	
7	Signature of the Supervisor/Invigilator (on verification of all the details filled by the candidates)	
8	Marks Obtained/Maximum Marks	
9	Signature of Examiner	

Note: The examination shall be cancelled if the candidates write their names or use any signs/symbols signatures etc. in the answer sheets which may hint at the identification of the candidates in any way.